बौद्धिक सम्पदा का 'पेटेंट'

दत्तोपंत ठेंगड़ी

बौद्धिक सम्पदा का 'प्रेत'

— दत्तोपंत ठेंगड़ी

सामान्यतः सम्पदा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसका मालिक अपनी सम्पदा का जैसा चाहे वैसा, और बिना किसी हस्तक्षेप के प्रयोग कर सकता है। साथ ही कोई अन्य व्यक्ति बिना उसकी अनुमति के उसका विधिमान्य प्रयोग नहीं कर सकता।

सम्पदा सामान्यतः तीन प्रकार की होती है :—

— चल सम्पति

— अचल सम्पति

— बौद्धिक सम्पति

बौद्धिक सम्पदा की दो मुख्य शाखाएं हैं :—

पहली—औद्योगिक सम्पदा, मुख्यतः आविष्कारों, मार्कों, (ट्रेडमार्कों) औद्योगिक अभिकल्पनाओं तथा स्रोतों के अभियानों (एपलेशन) सम्बन्धी और दूसरी—कापी राइट, मुख्यतः साहित्य, संगीत, ललित कला, फोटोग्राफी, दृश्य श्रव्य क्षेत्रों सम्बन्धी।

बौद्धिक सम्पदा के घटक मानवीय मस्तिष्क और बुद्धि की सृष्टि होते हैं। इसीलिए इसे बौद्धिक सम्पदा कहते हैं। इसका सीधा सम्बन्ध सूचना के किसी साकार माध्यम (जैसे पुस्तक या ध्वनि मुद्रिका) में एक ही समय पर असीम संख्या में विभिन्न स्थानों पर विश्व में कहीं भी भरे जाने से हैं। चल और अचल सम्पति की ही तरह बौद्धिक सम्पति की भी अपनी सीमाएं हैं, उदाहरणतः कापीराइट तथा एकस्व (पेटेन्ट) के मामले में समय सीमा। विश्व बौद्धिक सम्पदा नामक संगठन का जन्म स्टाकहोम में १४ जुलाई,

१९६७ को सम्पन्न हुए अधिवेशन में हुआ । इसमें यह निश्चित किया गया कि बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार निम्नलिखित कारकों से सम्बन्धित होंगे—

१- साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक सृजन

२- कलाकारों द्वारा ललित कला के प्रदर्शन, फोनोग्राम तथा प्रसारण

३- मानवीय उद्यम के किसी भी क्षेत्र में कोई भी अविष्कार

४- वैज्ञानिक खोजे

५- औद्योगिक अभिकल्पना

६- मार्का, सर्विस मार्क, तथा अन्य वाणिज्यिक नाम तथा अभिधान

७- अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा से रक्षा तथा बौद्धिक क्रियाशीलता से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक आदि क्षेत्रों में हों (अनुच्छेद २ VIII)

क्रमांक (१) में वर्णित सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा की कापीराइट शाशा से सम्बन्धित है । क्रमांक (२) में उल्लिखित सम्पदा 'पड़ौसी अधिकार' में कही जाती है । वे अधिकार जो कापीराइट के आसपास हों । (३),(५),(६) में उल्लिखित वस्तुएं बौद्धिक सम्पदा औद्योगिक सम्पदा शाखा में आती है । क्रमांक (७) में वर्णित वस्तुएं भी इसी शाखा में समझी जाती है । क्रमांक (४) में वर्णित वस्तुएं बौद्धिक शाखा में वर्णित दोनों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आती ।

वैज्ञानिक खोजों को इनमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय अधिनियम या अन्तरराष्ट्रीय संधि वैज्ञानिक खोजों के लिए कोई सम्पदा का अधिकार नहीं देते । वैज्ञानिक खोजें तथा

आविष्कार एक ही चीज नहीं है। एक वैज्ञानिक खोज वास्तव में भौतिक विश्व के किसी चमत्कार, गुण या नियम की पहचान करना है जिसकी कि अब तक पहचान नहीं की जा सकी हो और उसका सत्यापन किया जा सके।

एकस्व (पेटेंट) कानून

एकस्व या अंग्रेजी में पेटेन्ट, सरकारी कार्यालय द्वारा जारी एक दस्तावेज होता है जो किसी आविष्कार का वर्णन करते हुए ऐसी कानूनी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें कि एकस्वित आविष्कार का सामान्यतः उसके अधिकारी की अनुमति से ही उपयोग किया जा सकता है। उपयोग में उनका उत्पादन, खपत, विक्रय तथा आयात आदि शामिल है। आविष्कार की समय सीमा कानून द्वारा निश्चित की जाती है। जो ५ वर्ष से २० वर्ष तक हो सकती है।

एकस्व (पेटेन्ट) वास्तव में सरकार द्वारा आविष्कारक को दिया गया एक कानूनी अधिकार है। आविष्कार द्वारा यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। यह कानून एकस्वित वस्तु तथा प्रक्रिया के उत्पादन, उपयोग और बिक्री से अन्य व्यक्तियों को प्रतिबन्धित रखता है। और इसकी समयावधि निश्चित होती है।

एकस्व के भेद

प्रक्रिया सम्बन्धी और उत्पाद सम्बन्धी एकस्व में सामान्यतः भेद किया जाता है। उदाहरणतः एक नयी प्रकार की मिश्र धातु का आविष्कार 'उत्पाद सम्बन्धी एकस्व' के अन्तर्गत आएगा जबकि किसी ऐसी मिश्र धातु जिसकी जानकारी पहले से हो, या न भी हो का किसी नयी प्रक्रिया द्वारा उत्पादन 'प्रक्रिया सम्बन्धी एकस्व' के अन्तर्गत आएगा। ये दोनों प्रकार के एकस्व क्रमशः 'उत्पाद आविष्कार का एकस्व' और 'प्रक्रिया आविष्कार का एकस्व' कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस आविष्कार (या उस प्रक्रिया

का दोहन करना चाहे तो उसे पहले उस एकस्व के स्वामी (एकस्वाधिकारी) की अनुमति लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के उनका दोहन करता है तो वह कानूनन अपराध करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एकस्वाधिकारी को अपने आविष्कार के बिना अनुमति दोहन के विरुद्ध रक्षा प्राप्त है। यह रक्षा निश्चित समय के लिए ही होती है।

आविष्कार, मार्का (ट्रेडमार्क) तथा औद्योगिक अभिकल्पना क्या है ?

कोई भी अन्तरराष्ट्रीय संधि इन अवधारणाओं को परिभाषित नहीं करती और विभिन्न राष्ट्रों के नियम अधिनियम इन विषयों पर आपस में महत्वपूर्ण भिन्नताएं रखते हैं। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सम्पति की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना सम्भव नहीं है। किन्तु फिर भी इन अवधारणाओं के अधिसंख्य सामान्य गुणों की ओर अवश्य इंगित किया जा सकता है।

भारतीय एकस्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

* *खाद्य पदार्थों, औषधियों तथा रासायनिक विधि से तैयार वस्तुओं पर एकस्व उपलब्ध है, इसके अलावा अन्य सभी मामलों में उत्पाद पर ही एकस्व उपलब्ध होता है।*
* *आणविक ऊर्जा, कृषि और उद्यान कृषि एकस्व से पूर्णतया मुक्त है।*
* *एकस्व का कार्यकारी होना अनिवार्य है। अर्थात चाहे व्यक्ति भारतीय हो अथवा विदेशी, उसे एकस्व का प्रयोग भारत के अन्दर उत्पादन में करना होगा।*
* *भारतीय तथा विदेशियों में कोई अन्तर नहीं किया गया है।*
* *राष्ट्रीय हितों को एकस्वधारी के हितों से ऊपर रखा गया है। एकस्व के साथ ही अनिवार्यतः लाइसेंस प्रदान किया जाता है जिससे कि एकस्व कार्यकारी हो जाए। यदि कोई एकस्वधारी अपने लाइसेंस का प्रयोग नहीं करता तो किसी अन्य को उस वस्तु का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जा सकता है।*
* *स्वचालित अधिकार का लाइसेंस भारतीय अधिनियम की एक और*

विशेषता है यह खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के क्षेत्र में जनहित रक्षार्थ बनाया गया है। यदि कोई एकस्वाधिकारी अपने उत्पाद की उपलब्धता तथा उचित मूल्य के विषय में जागरुक नहीं है या उसका उत्पादन नहीं करता तो तीन वर्ष बाद कोई भी अन्य उस उत्पाद का उत्पादन कर सकता है।

* *खाद्य पदार्थों औषधियों तथा रासायनिक विधि से तैयार उत्पादों के एकस्व के अलावा अन्य सभी एकस्व भारत में १४ वर्ष पश्चात समाप्त हो जाते है। खाद्य पदार्थों औषधियों तथा रासायनिक विधि से तैयार उत्पादों के मामले में यह अवधि एकस्व के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र की तिथि से ७ वर्ष या एकस्व दिए जाने की तिथि से ५ वर्ष, इनमें जो तिथि पहले पड़ जाए के आधार पर तय होती है।*

१९७० के एकस्व अधिनियम के अलावा जो अन्य भारतीय कानून बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करते हैं वे हैं :—

* ***भारतीय व्यापार तथा उत्पाद मार्का अधिनियम १९५८***
* ***अभिकल्पना अधिनियम १९११***
* ***कापीराइट अधिनियम, १९५७***

आविष्कार

आविष्कार वह विशेष विचार या संकल्पना है जिसमें तकनीकी क्षेत्र में किसी विशेष समस्या के हल को प्रौद्योगिक रूप में लाया जा सकता है। आविष्कार किसी विशेष तकनीकी समस्या का नया समाधान है। 'नवीनता' ही वह विचार है जिसकी आविष्कारों से सम्बन्धित कानूनों में रक्षा की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वह पहले से प्रकाशित या जन उपयोग में नहीं होना चाहिए। उस विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को वह पहले न सूझा हो, जबकि उन्हें उस समस्या का समाधान सोचने को कहा गया था, इस दृष्टि से वह अविष्कार पहले से अप्रकट होना चाहिए। उद्योग के क्षेत्र में वह तुरन्त प्रयोग किए जाने योग्य होना चाहिए। ये तीनों आवश्यकताएं एकस्विता (पेटेन्टेबिलिटी) की आवश्यकताएं कहलाती हैं।

मार्का (ट्रेडमार्क)

किसी व्यापारिक माल के

लिए जनसामान्य के सम्मुख उत्तरदायित्व को तय करने वाले चिन्ह को मार्का कहते हैं । जनसामान्य यह निर्धारित करने के लिए कि किसी निर्माता का माल वह खरीदना चाहता है, मार्का का प्रयोग करता है, मार्का वास्तव में उत्पाद पहचानने के काम आता है । सेवा मार्का (सर्विस मार्क) यही कार्य सेवा के क्षेत्र में करता है । यह चिन्ह किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उद्यम अथवा ऐसे उद्यमों के समूह का हो सकता है । यह चिन्ह एक या अधिक विशेष शब्दों, अक्षरों, अंकों, रेखाओं, चित्रों अथवा हस्ताक्षरों, रंगों, रंग मिश्रणों, और कुछ अधिनियमों के अनुसार कुछ अन्य चीजों जैसे उत्पाद के नमूनों आदि का भी हो सकता है । मार्का सब से अलग ही नहीं अपितु सुस्पष्ट भी होना चाहिए ।

औद्योगिक अभिकल्पना (इंडस्ट्रियल डिज़ाइन)

प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का अलंकरण वाला भाग औद्योगिक अभिकल्पना कहलाता है । यह अलंकरण त्रिआयामी या द्विआयामी भी हो सकता है । किन्तु इसका निर्धारण मात्र उस उपयोगिता के आधार पर नहीं हो सकता जिसके लिए वह वस्तु बनी है ।

व्यापारिक अभिधान (ट्रेड नेम)

व्यापारिक अभिधान सामान्यतः वे नाम, शब्द या पदनाम होते हैं जो कि एक उद्यम की व्यापारिक गतिविधियों को अन्य उद्यमों से अलग करते हैं । व्यापारिक अभिधान एक समस्त उद्यम की पहचान होता है । यह आवश्यक नहीं कि उसमें उन वस्तुओं अथवा सेवाओं का कोई सन्दर्भ हो ही, जिन्हें कि वह उद्यम बाजार में लाता है । यह वास्तव में उस उद्यम की प्रतिष्ठा और साख को दर्शाता है ।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन एक अन्तर सरकारी संगठन है । इसका मुख्यालय जनेवा में है । यह संयुक्त राष्ट के संगठनों की व्यवस्था में

अवस्थित सोलह 'विशेषज्ञ अभिकरणो' में से एक है ।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना स्टाकहोम में १४ जुलाई, १९६७ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हुई । यह समझौता विश्व बौद्धिक सम्पदा संगटन की स्थापना का समझौता कहलाता है । इस संगठन का उद्‌गम १८८३ में हुए औद्योगिक सम्पति संरक्षण से पेरिस समझौते तथा १८८६ में हुए साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यसंरक्षण के बने समझौते में देखा जा सकता है ।

पेरिस समझौता (२० मार्च, १८८३)

पेरिस समझौता बहुदेशीय आर्थिक समझौता था जोकि औद्योगिक सम्पति एकस्व मार्का और अभिकल्पना जैसे अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था । २१ जनवरी, १९९२ तक १०३ राष्ट्र इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे । सन् १८८३ में सम्पन्न हुए इस समझौते में सन् १९०० में ब्रूसेल्स में, १९११ में वाशिंगटन में, १९२५ में हेग में, १९३८ में लन्दन में, १९५८ में लिस्बन में और १९६७ में स्टाकहोम में परिवर्तन किए गए । सन् १९७९ में भी इसमें बदलाव लाया गया ।

बर्न समझौता (९ सितम्बर, १८८६)

यह समझौता कापीराइट की सुरक्षा के लिए है । इसमें लाभान्वित होने वालों में लेखक, प्रकाशक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संगीतकार, चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार, फिल्म निर्माता तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों के निर्माता शामिल हैं ।

भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं । सन् १८८६ में तय हुए इस समझौते में पेरिस में १८९६ में, बर्लिन में १९०८ में, रोम में १९२८ में, ब्रुसेलस में १९४८ में स्टाकहोम में १९६७ में, पुनः पेरिस में १९७१ में विभिन्न परिवर्तन किए गए। सन् १९७९ में भी इसे बदला गया।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण के समझौते एकस्व के क्षेत्र में

— १९ जून, १९७० का एकस्व सहयोग समझौता

— २८ अप्रैल, १९७७ का बुडापेस्ट समझौता (सूक्ष्म जैव संग्रहण के एकस्व से सम्बन्धित)

मार्का के क्षेत्र में

— १४ अप्रैल, १९९१ का मैड्रिड समझौता

— २७ जून, १९८९ का मैड्रिड समझौता

उद्गम के अभिधान सम्बन्धी

— ३१-१०-५८ का लिस्बन समझौता

औद्योगिक अभिकल्पना के क्षेत्र में

— ६ नवम्बर, १९२५ का हेग समझौता

नवीन पादप प्रजाति संरक्षण के क्षेत्र में

— २ दिसम्बर, १९६१ का अन्तरराष्ट्रीय नवीन पादप प्रजाति संरक्षण समझौता

२ जनवरी १९९२ तक ९० देश इस में समझौते में शामिल हो चुके थे।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ संगठन दिसम्बर १९७४ में बना।

ऐसा दावा किया जाता है कि यह संगठन अपनी सेवाएं अविष्कार, मार्का, औद्योगिक अभिकल्पना आदि के लिए उस स्थिति में प्रदान करता है जब इनके संरक्षण की आवश्यकता कई देशों में होती है। अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य यह संगठन प्रशासनिक स्तर पर परस्पर सहयोग बढ़ाने में मदद करता है।

विश्व कापीराइट का संचालन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा किया जाता है। पड़ौसियों के अधिकारों के रोम समझौते का पालन यूनेस्को तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आई. एल. ओ.) की सहायता से विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन करता है। इस समय यह संगठन निम्नलिखित समझौतों का संचालन कर रहा है :—

औद्योगिक सम्पत्ति के क्षेत्र में,

पेरिस यूनियन, मैड्रिड समझौता (माल के सही उद्गम के विषय में) मैड्रिड यूनियन (अन्तरराष्ट्रीय मार्का सम्बन्धी) हेग यूनियन (औद्योगिक अभिकल्पना के अन्तरराष्ट्रीय संग्राहक के विषय में) नाइस यूनियन (मार्का पंजीकरण सम्बन्धी) लिस्बन यूनियन (अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अभिधान पंजीकरण एवं सुरक्षा हेतु) एकस्व सहयोग समझौता यूनीयन (अन्तररस्तर पर एकस्वों की सुरक्षा हेतु) एकस्व सहयोग समझौता यूनियन (अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एकस्वों की सुरक्षा हेतु) अन्तरराष्ट्रीय एकस्व वर्गीकरण यूनियन, विएना यूनियन, बुडापेस्ट यूनियन, नैरोबी समझौता (ओलम्पिक चिन्ह सुरक्षा), बर्न यूनियन (साहित्यिक व कलात्मक कृति संरक्षण हेतु) , रोम समझौता (संगीत गायन आदि), जनेवा समझौता (संगीत), ब्रुसेल्स समझौता (उपग्रह द्वारा प्रेषित संचार संरक्षण) चलचित्र पंजीकरण समझौता आदि। इसके अलावा यह संगठन पौधों की नई प्रजातियों में संरक्षण के लिए बने संघ को भी प्रशासनिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

१९८९ में हुआ वाशिंगटन समझौता तथा मैड्रिड समझौता भी इसी संगठन द्वारा लागू किया जाएगा। इनमें पहला इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में है और दूसरा मार्का सम्बन्धी।

एकाधिकार का अर्थ

संरक्षण का अधिकार वास्तव में एकस्व नामक अभिलेख में निहित नहीं होता अपितु उस देश के एकस्व कानून में होता है जहां कि उस आविष्कार का एकस्व किया गया था। दोहन के एकाधिकार में सामान्यतः निम्नलिखित तत्व उपस्थित रहते हैं :— (क) उत्पाद एकस्व के मामले में उसे बनाने, प्रयोग करने, बेचने , आयात करने और (ख) आविष्कार की प्रक्रिया के एकस्व के मामले में उस प्रक्रिया को प्रयोग करने, बेचने और आयात करने आदि के अधिकार रहते हैं। आविष्कारक को यह अधिकार होता है कि उसका नाम एकस्व में रहे। एक आकलन के अनुसार वर्ष १९९० में समस्त विश्व में लगभग पांच लाख सत्तर हजार एकस्व विभिन्न अविष्कारों के लिए सुरक्षित किए गए। इस के अलावा यह भी आकलन

किया गया कि १९९० के अन्त तक लगभग ४६ लाख एकस्व प्रयोग में थे।

परिवर्तन का विरोध क्यों ?

स्वदेशी जागरण मंच भारतीय एकस्व अधिनियम में परिवर्तन का विरोधी इसलिए है क्योंकि गेट में आए कुछ प्रस्तावों को मानने या संयुक्त राज्य की मांगों को मानने से विकट अनर्थ होगा। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य ने अपनी मांगे न मानने पर सुपर ३०१ नियम में भारत के विरुद्ध कार्यवाई की धमकी दी है। जैसा कि इंडियन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई, द्वारा भी कहा गया है कि भारतीय एकस्व अधिनियम में परिवर्तनों के बहुत से परिणाम होंगे। उदाहरणतः इन परिवर्तनों के बदा उत्पाद एकस्व के अलावा विदेशी कम्पनियों को यह अधिकार भी देना होगा कि उत्पादन करना या न करना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। यद्यपि उन्होंने एकस्व यहां प्राप्त किया होगा। औषधियों के विषय में मामला और भी गम्भीर हो जाता है।

वास्तव में इन कम्पनियों का उस उत्पाद के आयात पर भी एकाधिकार हो जाएगा। तब मूल्यों के मामले में ये कम्पनियां घालमेल कर सकती है। अपनी ही विदेशी कम्पनी से आयात करके जैसा पेप्सी ने मशीनों के संदर्भ में किया था। तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां भारतीय कम्पनियों के पास तकनीक होगी, विशेषज्ञता होगी, साधन होंगे, उत्पादन की क्षमता होगी, भिन्न विधि भी होगी तो भी अपने ही देश में सस्ते मूल्य पर उत्पादन करने से अपने ही देश की न्याय पालिका द्वारा रोक दी जाएगी। औषधियों के क्षेत्र में तो इससे मूल्य वृद्धि ऐसी होगी कि लाखों भारतीय बिना औषधि के तड़प-तड़प कर मर जाएंगे।

किसानों के दुश्मन

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में एकस्व लाने से लाखों किसानों के लिए

बहुप्रचलित आर्थिक शब्द
डंकल ड्राफ्ट

व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता के महानिदेशक आर्थर डंकल के बहुदेशीय व्यापार वार्ता के उरुग्वा दौर के विषय में प्रस्तावों के संकलन का नाम डंकल ड्राफ्ट पड़ गया है।

टी. आर. आई. पी. एस.

एग्रीमेंट आन ट्रेड रिलेटिड इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटस अर्थात् बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौता

टी. आर. आई. एम. एस.

ट्रेड रिलेटिड इनवेस्टमेंट मैजर्स अर्थात व्यापार सम्बन्धित निवेश कार्यवाहियां।

जी. ए. टी. टी. (गेट)

सीमा शुल्क तथा व्यापार का सामान्य समझौता

जी. ए. टी. एस.

सेवाओं में व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता।

गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा इससे बीज और परिणामतः उपज की कीमतों में भयंकर वृद्धि होगी। हमारे अपने कृषक अपने बीज और पौधे तैयार नहीं कर सकेंगे। यह कार्य अमरीकन किसानों के हाथ चला जाएगा। हमारे कृषकों को बीज तथा पौध अमरीकन किसानों से उनके मुंह मांगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। हमारे अपने बीज और पौध स्वयं हमें ही उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदने होंगे। भारतीय कृषकों से अपना बीज बचाकर रखने का अधिकार तो इतिहास में कभी भी, यहां तक कि सर्वाधिक निरकुंश शासकों के राज्य में भी नहीं छीना गया।

इसके अलावा यदि विदेशियों को महत्वपूर्ण माल इस देश में आयात करने का एकाधिकार दे दिया गया, वह भी तब जबकि वे उसका भारत में उत्पादन नहीं करेंगे और भारतीय व्यापारी न तो उस माल का उत्पादन कर

सकेगा और न ही उसे आयात, तो भारत के हजारों उद्योग ठप हो जाएंगे। इस से लाखों भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। यदि हमारे उद्योगों पर बीस वर्ष तक नवीन तथा आवश्यक तकनीक का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो क्या वे बच सकेंगे ?

यदि हमारे गणितज्ञों पर यह प्रतिबंध लगा दिया जाए कि अमुक समीकरण का वह प्रयोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि अमुक बहुराष्ट्रीय निगम का उस पर एकस्वाधिकार है तो हमारे विज्ञान, तकनीक, शोध और विकास का क्या हाल होगा ? हमारे शोध संस्थानों को उनकी सामान्य शोध गतिविधियों से भी वंचित कर दिया जाएगा।

एकस्वाधिकारों का प्रयोग ज्ञान तथा उन आवश्यक साधनों का निजीकरण करनें में किया जाएगा जो सामान्य जनता तथा वैज्ञानिक को उपलब्ध रहे हैं।

एकस्वाधिकारों का साम्राज्य पौधों, जीवजन्तुओं, बीजों, गणित के समीकरणों और यहां तक कि मानव शरीर के अंगों तक पर छा जाएगा। हम सभी पौध बनाने वालों के अधिकारों के गुलाम बन जाएंगे। संयुक्त राज्य तृतीय विश्व के देशों की कृषि का विनाश चाहता है जो कि बाद में उसके कृषि उत्पादों के लिए बाजार बन सकें।

* * *

स्वदेशी जागरण मंच
१२९, साऊथ ऐवेन्यू
नई दिल्ली - ११०००१

सहयोग राशि : रू० १/- मात्र

मुद्रक : सियाराम प्रिन्टर्स, १५६२, मेन बाजार, पहाड़गंज
नई दिल्ली - ५५ फोन - ७७७३५०४